



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-24072026-274663
CG-MH-E-24072026-274663

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3798]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 20, 2026/आषाढ 29, 1948

No. 3798]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 20, 2026/ASHADHA 29, 1948

रेल मंत्रालय

[पश्चिम रेलवे (निर्माण संगठन)]

अधिसूचना

मुंबई, 20 जुलाई, 2026

का.आ. 3967(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल (संशोधन) अधिनियम, 2008 अधिनियम की धारा 20(च)(6) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से मध्य प्रदेश राज्य में एतद द्वारा नीचे दी गई सारणी के स्तम्भ (2) में वर्णित अधिकारी को सारणी के स्तम्भ (4) में उल्लेखित विशेष रेल परियोजना के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के तहत कार्यों को करने के लिए मध्यस्थ रूप में अधिकृत करती है।

क्रम सं.	मध्यस्थ अधिकारी	जिला एवं तहसील	विशेष रेल परियोजना का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
01	संभागायुक्त, उज्जैन संभाग, उज्जैन	उज्जैन	“ नई खेड़ी से चिंतामण गणेश को जोड़ने वाली नई बीजी (BG) उज्जैन बायपास लाइन निर्माण परियोजना “

[फा. सं. ई-82421-02]

धीरज कुमार, मुख्य अभियंता निर्माण-IV

MINISTRY OF RAILWAYS
[Western Railway (Construction Organization)]

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th July, 2026

S.O. 3967(E).—In exercise of the powers conferred by clause 20F (6) of the Railways (Amendment) Act-2008, the Central Government hereby authorised the officers nominated in column (2) of the Table below to act as an Arbitrator to perform the functions of such authorities under the said Act in respect of Special Railway Project as mentioned in column (4) of the table below in the state of Madhya Pradesh with effect from the date of publication of this notification in the official Gazette.

S.N	Arbitrator Officer	District and Tehsil	Name of Special Railway project
(1)	(2)	(3)	(4)
01	Divisional Commissioner, Ujjain Division, Ujjain	Ujjain	“New BG Ujjain Bypass Line connecting Naikhedi to Chintaman Ganesh”

[F. No. E-82421-02]

DHEERAJ KUMAR, Chief Engineer (Construction)-IV